रजिस्ट्री सं० डी--(डीएन)—128/90

REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 22, 1990 (भाद्रपद 31, 1912)

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 22, 1990 (BHADRA 31, 1912)

**(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)**

**(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)**

विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग I—खण्ड 1— (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं | 643 |
| भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं | 1101 |
| भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं | 7 |
| भाग I—खण्ड 4— रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं | 1608 |
| भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम | * |
| भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ | * |
| भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट | * |
| भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) | * |
| भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं | * |
| भाग II—खण्ड—3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) | * |
| भाग II—खण्ड 4— रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश | * |
| भाग III—खण्ड 1— उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | 907 |
| भाग III—खण्ड 2— पेटन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस | 1049 |
| भाग III—खण्ड 3 मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | * |
| भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं | 2516 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी, निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस | 141 |
| भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में खण्ड और मूल्य के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक | * |


*आंकड़े प्राप्त नहीं।

# CONTENTS


| | PAGE |
|---|---|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court. | 643 |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . . | 1101 |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . . | 7 |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence . . . . . | 1509 |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . . | * |
| PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations . . . . . | * |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . . | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) . | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) | * |
| PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . . | * |
| PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . . | * |
| PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . . | 907 |
| PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . . . . | 1049 |
| PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . . | * |
| PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . . | 2519 |
| PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies . | 141 |
| PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi | * |


*Folio Nos. not received.

# भाग I—खण्ड 1
# [PART I--SECTION 1]

## (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

## [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 सितम्बर 1990]

सं० 72-प्रेज/90—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम अधर पाण्डे,
नायक (सं० 69566276),
33वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

सीमा सुरक्षा बल, अमृतसर के संयुक्त सहायक निदेशक (जी), श्री आर० एस० भुल्लर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना भीखीविन्ड के अन्तर्गत मनिहाल में प्रीतम सिंह नामक एक व्यक्ति के फार्म हाउस में कुछ आतंकवादियों ने शरण ली हुई है ।

5 अगस्त, 1988 को प्रात: करीब 4.30 बजे श्री आर० एस० भुल्लर के नेतृत्व में छापामार दल आतंकवादियों के छिपने के स्थान की ओर चल दिया आतंकवादियों के भाग निकलने के स्थान पर पुलिस कार्मिकों को तैनात करने के पश्चात् अन्य कार्मिकों को साथ लेकर श्री भुल्लर छापा मारने के लिए चल दिए । जैसे ही छापामार दल मकान के फाटक के निकट पहुंचा, आतंकवादियों ने दो दिशाओं से गोलियां चलानी आरंभ कर दीं । छापामार दल ने भी जवाब में गोलियां चलाई । श्री भुल्लर ने अपने जवानों को आदेश दिए कि वे आतंकवादियों को प्रभावकारी ढंग से व्यस्त रखते हुए दाईं ओर से आगे बढ़ें । सहायक कमाण्डेंट श्री के० एस० राय ने उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलाबारी के बीच उन्हें व्यस्त रखते हुए आगे बढ़ना जारी रखा । श्री राय के पास असला समाप्त होता जा रहा था तथा आतंकवादी श्री राय को पकड़ने के लिए उनके निकट आने का प्रयास कर रहे थे ।

श्री जयपाल सिंह, लांस नायक और श्री मुकुन्द कुमार, कान्स्टेबल, श्री राम अधर पाण्डे, नायक के छापामार दल में थे । जब ये फार्म हाउस के एक फाटक की ओर बढ़ रहे थे तो उन पर आतंकवादियों द्वारा बहुत भारी गोलाबारी की गई । श्री पाण्डे के निर्देशानुसार श्री जयपाल सिंह रेंगते हुए एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए और उन्होंने उग्रवादियों को काफी व्यस्त रखा । इससे उग्रवादियों द्वारा की जा रही गोलाबारी को नियंत्रण में रखा तथा इससे छापामार दल के दूसरे दल को सुरक्षित स्थानों पर मोर्चा लेने में सहायता मिली । कान्स्टेबल मुकुन्द कुमार के साथ श्री पाण्डे आतंकवादियों के छिपने के स्थान की ओर बढ़ते रहे । इस प्रक्रिया में श्री पाण्डे को गोलियों से चोट लगी लेकिन उन्होंने गोलियां चलाना जारी रखा और एक आतंकवादी को मार डाला । लांस नायक जयपाल सिंह ने कान्स्टेबल मुकुन्द कुमार को श्री पाण्डे को सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने में मदद करने को कहा । अपने पर भीषण गोला-बारी होने के बावजूद श्री जयपाल सिंह ने आगे बढ़ना जारी रखा और अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना उग्रवादियों पर बिना रुके वे गोलियां चलाते रहे और उन्हें व्यस्त रखा । इस प्रकार की कार्रवाई के परिणामस्वरूप श्री पाण्डे सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके । डेढ़ घण्टे तक दोनों ओर से गोलाबारी होती रही तथा कुल मिला कर दो उग्रवादी मारे गए जिनकी बाद में सिन्दर सिंह उर्फ शिन्दा तथा राजिन्दर सिंह उर्फ राजी के रूप में पहचान की गई । तलाशी लेने पर एक ए० के०-47 एसाल्ट राईफल, दो .12-बोर की डी० बी० बी० एल० बन्दूकें, एक .12-बोर एस० बी० बी० एल० की बन्दूक, एसाल्ट राईफल की चारमैगजीनें तथा बड़ी मात्रा में गोला-बारूद और करेंसी नोट बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में श्री राम अधर पाण्डे, नायक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चतर कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 अगस्त, 1988 से दिया जाएगा ।

सं० 73-प्रेज/90—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री के० एस० राय,
सहायक कमाण्डेन्ट
33वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल, ।

श्री हरी सिंह,
सूबेदार (सं० 69511051),
33वीं बटालियन ,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री जयपाल सिंह,
लांस नायक (सं० 712100542),
33वीं बटालियन ,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री मुकुन्द कुमार,
कान्स्टेबल (सं० 85005608),
33वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

सीमा सुरक्षा बल, अमृतसर के संयुक्त सहायक निदेशक (जी), श्री आर० एस० भुल्लर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना भीखीविन्ड के अन्तर्गत मनिहाला में प्रीतम सिंह नामक एक व्यक्ति के फार्म हाउस में कुछ आतंकवादियों ने शरण ली हुई है ।

5 अगस्त, 1988 को प्रातः करीब 4.30 बजे श्री भुल्लर के नेतृत्व में छापामार दल आतंकवादियों के छिपने के स्थान की ओर चल दिया। आतंकवादियों के भाग निकलने के स्थानों पर पुलिस कार्मिकों को तैनात करने के पश्चात् अन्य कार्मिकों को साथ लेकर श्री भुल्लर छापा मारने के लिए चल दिए। जैसे ही छापामार दल मकान के फाटक के निकट पहुंचा, आतंकवादियों ने दो दिशाओं से गोलियां चलानी आरम्भ कर दीं। छापामार दल ने भी जवाब में गोलियां चलाई। श्री भुल्लर ने अपने जवानों को आदेश दिए कि वे आतंकवादियों को प्रभावकारी ढंग से व्यस्त रखते हुए दाईं ओर से आगे बढ़ें। सहायक कमाण्डेंट श्री के० एम० राय ने उग्रवादियों द्वारा की जा रही भारी गोला-बारी के बीच उन्हें व्यस्त रखते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। श्री राय के पास असला समाप्त होता जा रहा था तथा आतंकवादी श्री राय को पकड़ने के लिए उनके निकट आने का प्रयास कर रहे थे। सूबेदार हरी सिंह ने उग्रवादियों की चाल को भांप लिया तथा एल० एम० जी० द्वारा प्रभावकारी ढंग से गोलियां चलाते हुए उन्हें व्यस्त रखा और श्री राय को उनके चुंगुल में आने से बचा लिया। इसके बदले में उग्रवादियों ने सूबेदार हरीसिंह पर विभिन्न दिशाओं से भीषण गोला-बारी की। श्री हरी सिंह तुरन्त ही एक सुरक्षित स्थान की ओर बढ़े, हालांकि उग्रवादियों की ओर से गोलियों की तेज बौछार होती रही। इससे श्री राय को और भी अधिक सुरक्षित स्थान पर जाने में मदद मिली।

श्री जयपालसिंह, लांस नायक और श्री मुकुन्द कुमार, कान्स्टेबल, श्री राम अधर पाण्डे, सहायक कमाण्डेंट के छापामार दल में थे। जब ये फार्म-हाउस के एक फाटक की ओर बढ़ रहे थे तो उन पर आतंकवादियों द्वारा बहुत भारी गोला-बारी की गई। श्री पाण्डे के निर्देशानुसार श्री जयपाल सिंह रेंगते हुए एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए और उन्होंने उग्रवादियों को काफी व्यस्त रखा। इससे उग्रवादियों द्वारा की जा रही गोलाबारी को नियंत्रण में रखा गया तथा इससे छापामार दल के दूसरे दल को सुरक्षित स्थानों पर मोर्चा लेने में सहायता मिली। कान्स्टेबल मुकुन्द कुमार के साथ श्री पाण्डे आतंकवादियों के छिपने के स्थान की ओर बढ़ते रहे। इस प्रक्रिया में श्री पाण्डे को गोलियों से चोट लगी लेकिन उन्होंने गोलियां चलाना जारी रखा और एक आतंकवादी को मार डाला। लांस नायक जयपाल सिंह ने कान्स्टेबल मुकुन्द कुमार को श्री पाण्डे को सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ने में मदद करने को कहा। अपने पर भीषण गोला-बारी होने के बावजूद श्री जयपाल सिंह ने आगे बढ़ना जारी रखा और अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना उग्रवादियों पर बिना रुके गोलियां चलाते रहे और उन्हें व्यस्त रखा। इस प्रकार की कार्रवाई के परिणामस्वरूप श्री पाण्डे सुरक्षित स्थान पर पहुंच सके। डेढ़ घण्टे तक दोनों ओर से गोलाबारी होती रही तथा कुल मिला कर दो उग्रवादी मारे गए जिनकी बाद में सिम्बर सिंह उर्फ शिन्दा तथा राजिन्दर सिंह उर्फ राजी के रूप में पहचान की गई। तलाशी लेने पर एक ए० के०-47 एसाल्ट राईफल, दो .12-बोर की डी० बी० बी० एस० बन्दूकें, एक .12-बोर एस० बी० बी० एल० की बन्दूक, एसाल्ट राईफल की चार मैगजीनें तथा बड़ी मात्रा में गोला-बारूद और करेंसी नोट बरामद हुए।

सीमा सुरक्षा बल की 33 वीं बटालियन के श्री के० एम० राय, सहायक कमाण्डेंट श्री हरि सिंह, सूबेदार श्री जयपालसिंह, लांस नायक, और श्री मुकुन्द कुमार, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 5 अगस्त, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 74-प्रेज/90—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री दिलीप सिंह
उप निरीक्षक सं० 620030623,
32वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

30 मार्च, 1989 को नवांशहर बंगा क्षेत्र में कुख्यात आतंकवादियों की बहुत अधिक गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त होने पर जालन्धर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 32 वी बटालियन के कमान्डेन्ट के एक विशेष अभियान की योजना बनायी और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए विभिन्न ग्रुपों को तैनात किया। श्री दिलीप सिंह, उप-निरीक्षक के नेतृत्व में एक ग्रुप को, जिसमें एक ड्राईवर सहित केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के तीन कार्मिक और पंजाब पुलिस के दो कान्स्टेबल थे, नवांशहर बंगा क्षेत्र में चलती फिरती गस्त के लिए तैनात किया गया। इस ग्रुप ने गस्त लगाते हुए लगभग सांय 5.30 बजे थाना बंगा के क्षेत्र के अन्तर्गत खटकर कलां के नजदीक एक ट्रैक्टर में ड्राईवर के बगल में बैठे एक संदिग्धपूर्ण व्यक्ति को यात्रा करते हुए देखा। ट्रैक्टर को रोकने का संकेत दिये जाने पर संदिग्ध व्यक्ति ने श्री दिलीप सिंह पर गोली चलायी, लेकिन तत्काल पूर्वानुमान लगा लेने के कारण दलीप सिंह ने अपने आप को चोट लगने से बचा लिया। उप-निरीक्षक दलीप सिंह के जीवन को खतरे का अन्दाजा लगाते हुए कान्स्टेबल मनजीत सिंह ट्रैक्टर के ड्राईवर पर झपट पड़े और उसे दबोचते हुए उन्होंने ट्रैक्टर को रोक लिया। यह देखने पर कि कान्स्टेबल मनजीत सिंह की कार्रवाई से संदिग्ध व्यक्ति का ध्यान दूसरी ओर हट गया है, श्री दलीप सिंह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उस युवक पर झपट पड़े और उसे दबोच लिया तथा निशस्त्र कर दिया। बचने का कोई रास्ता न देखकर आतंकवादी ने तत्काल एक कैप्सूल निगल लिया, जिसमें साईनाईड था। श्री दलीप सिंह ने उसके मुंह से कैप्सूल को बाहर निकालने का प्रयास किया लेकिन वे उस कैप्सूल के केवल एक हिस्से को ही बाहर निकाल सके। आतंकवादी की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए वे उसे तत्काल सिविल अस्पताल नवांशहर ले गए जहां डाक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन कुछ समय बाद उसने दम तोड़ दिया। बाद में उसकी शिनाख्त मजारी के मनजीत सिंह उर्फ राम लाल उर्फ राम भैया के रूप में की गयी।

इस मुठभेड़ में श्री दलीप सिंह, उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 मार्च, 1989 से दिया जाएगा।

सं० 75-प्रेज/90—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री एम० सुन्दरम्,
कान्स्टेबल नं० 761110148,
(अब लांस नायक,)
48वीं बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

तरन तारन उप-मंडल के गांवों में आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और पंजाब पुलिस कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से छापा मारने/छान-बीन करने का कार्य किया गया। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 48 वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट के साथ केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 48वीं बटालियन की कंपनियों के दलों द्वारा तरन-तारन सिटी पुलिस थाने के अन्तर्गत बाथ, वेव पाखोक तथा बगादिया के गांवों में 19 दिसम्बर, 1988 को प्रातः लगभग आठ बजे छानबीन का कार्य शुरू किया गया था।

जब 48वीं बटालियन का एक दल फार्म हाउस की जांच करने के इरादे से पाखोक गांव में बचन सिंह संधू के फार्म हाऊस के नजदीक पहुंचा तो फार्म हाऊस के अन्दर छिपे हुए आतंकवादियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दल पर गोली चला दी और उसके परिणामस्वरूप कांस्टेबल एम० सुन्दरम्, जो बल के आगे थे, गोली लगने से घायल हो गए। अपनी निजी सुरक्षा और चोट की परवाह किए बगैर उन्होंने फार्म हाऊस के गेट के नजदीक मोर्चा संभाला और कमरे की ओर गोली चलानी शुरू कर दी जहां आतंकवादी गोली चला रहे थे। उन्होंने रेंगते हुए कुशलता से अपनी स्थिति भी बदली और वे तब तक गोली चलाते रहे जब तक उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया। इस तरह श्री सुन्दरम् ने अपने बल के अन्य कार्मिकों को आगे बढ़ने और फार्म हाऊस पर घेरा डालने में तथा उसके अन्दर घिरे हुए आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में मदद की तथा सफलता प्राप्त की। इस मुठभेड़ में दो खूंखार आतंकवादी मारे गए, जिनकी बाद में फिरोजपुर के शेर सिंह और पट्टी पुलिस थाने के करन सिंह के रूप में शिनाख्त की गई।

इस मुठभेड़ में श्री सुन्दरम् कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 दिसम्बर, 1988 से दिया जाएगा।

सं० 76-प्रेस/90—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रविन्दर कुमार (मरणोपरान्त),
कान्स्टेबल (चालक) सं० 821191077,
32वीं बटालियन
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

7 मार्च, 1989 को सायं लगभग 4.50 बजे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 32वीं बटालियन का एक दल, हैड कान्स्टेबल मंगल सिंह के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन-नवांशहर के चकदाना गांव में नाका ड्यूटी के लिए एक जीप में बैठकर रवाना हुआ, जिसे (जीप) श्री रविन्दर कुमार, कान्स्टेबल (चालक) चला रहे थे। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद दल लगभग 7.40 बजे कम्पनी, हेडक्वार्टर को रवाना हुआ। रास्ते में फिल्लौर-नवांशहर मार्ग पर गढ़ी अजीत सिंह के तिराहे को पार करते ही जीप पर घात लगाकर हमला किया गया और आतंकवादियों द्वारा स्वचालित ए० के०-47 राइफल से उस पर भारी गोलाबारी की गई।

आतंकवादियों के राइफल की गोलियों की पहली बौछार से चालक रविन्दर कुमार गम्भीर रूप से जख्मी हो गये। गोली लगने से गम्भीर रूप से जख्मी होने के बावजूद चालक रविन्दर कुमार ने जीप चलाने में असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया और युक्तिपूर्वक उसे घात-स्थल से दूर ले गए। ऐसा करते हुए उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि जीप में बैठे हुए लोगों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। इस उल्लेखनीय और वीरतापूर्ण प्रयास के दौरान वे गोलियों से घायल हो गए जो कि उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। जख्मों के कारण प्राण त्यागने से पहले जीप को घात-स्थल से केवल 80 मीटर और दूर ले जा सके। चालक रविन्दर कुमार के सर्वोच्च बलिदान और साहसिक कार्रवाई से जीप में बैठे अन्य लोगों की जानें बच गईं और उन्हें केवल मामूली खरोंचें आईं और वे बच निकले। अन्य पुलिस कार्मिकों ने जवाब में गोलियां चलाईं लेकिन आतंकवादी अंधेरे में भाग निकले।

इस मुठभेड़ में श्री रविन्दर कुमार, कान्स्टेबल (चालक) ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया;

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 मार्च, 1989 से दिया जाएगा।

सं० 77-प्रेस/90—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रवि गांधी,
सहायक कमांडेन्ट,
12वीं बटालियन
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

2 सितम्बर, 1989 को इकबाल सिंह की धानी, ग्राम काबरांवाला, जिला फरीदकोट में कुछ उग्रवादियों के छुपने की सूचना प्राप्त होने पर गुरूहरसराय में तैनात सीमा सुरक्षा बल की 12वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री रवि गांधी, सीमा सुरक्षा बल के 23 कार्मिकों के साथ तत्काल उस स्थान की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने पाया कि पंजाब पुलिस कार्मिकों ने लगभग 100-150 मीटर की दूरी से स्थान को घेरा हुआ है। श्री रवि गांधी ने यह भी पाया कि पंजाब पुलिस की एक टुकड़ी ने अपनी अपनी राइफलों से आतंकवादियों को उलझा रखा है और आतंकवादियों ने कच्चे मकान के भीतर आड़ लेकर अपने स्वचालित हथियारों से लगातार गोलाबारी करके पुलिस बल को अपने स्थान से हिलने नहीं दिया। आतंकवादि पुलिस पार्टी पर हथगोले फैंक रहे थे।

चूंकि उग्रवादियों ने मकान के अन्दर बेहतर मोर्चा लगाया हुआ था और फ्लैट ट्रिजेक्टरी हथियार प्रभावकारी नहीं हो रहे थे इसलिये श्री गांधी ने एक अत्याधिक उत्तम एवं साहसिक योजना बनायी। उन्होंने एक टुकड़ी को एल० एम० जी० और एस० एल० राइफलों के साथ बचाव में गोलाबारी करने के लिए तैनात किया। श्री गांधी, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, सीमा सुरक्षा बल के 3 कार्मिकों के साथ आतंकवादियों के छिपने के स्थान की ओर बढ़े। सीमा सुरक्षा बल की पार्टी को देखने पर उग्रवादियों ने उस पार्टी पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। श्री गांधी की नजर कमरे के दाहिनी ओर की एक खिड़की पर पड़ी, जहां से आतंकवादी गोलाबारी कर रहे थे। वे रेंगते हुए आगे बढ़कर उस खिड़की के नजदीक पहुंचे और वहां से उन्होंने 2 हथगोले अन्दर फेंके, जिसके परिणामस्वरूप दो उग्रवादी मारे गए। उसके बाद उन्होंने एक तीसरे उग्रवादी को देखा, जो कमरे के मुख्य द्वार से गोलाबारी कर रहा था। श्री गांधी ने एक ट्रैक्टर के पीछे आड़ ली, जो मकान से लगभग 10 मीटर की दूरी पर खड़ा था। उग्रवादी ने भी श्री गांधी को देखा और उनकी ओर दो बार गोलियां चलायीं। पहली गोली ट्रैक्टर पर लगी और दूसरी श्री गांधी के सिर के ऊपर से गुजर गयी और वे सौभाग्य से बच गए। इससे विचलित न होकर श्री गांधी ने अपने एक जवान को बचाव में गोली चलाने को कहा और धैर्य और आत्मविश्वास से उग्रवादी पर एक हथगोला फैंका, जिसके परिणामस्वरूप तीसरा उग्रवादी भी घटना स्थल पर ही मारा गया।

इस मुठभेड़ में श्री रवि गांधी, सहायक कमान्डेन्ट ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 सितम्बर, 1989 से दिया जाएगा।

दलीप सिंह जगोता
राष्ट्रपति का उप-सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1990

संकल्प

सं० 50/4/18/88-टी०एस०—सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी पहलुओं पर समन्वित एवं व्यापक ढंग से विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् गठित करने की अपनी इच्छा की घोषणा की थी। यह परिषद्, विदेशी, आर्थिक, राजनीतिक तथा सैन्य स्थितियों और हमारी घरेलू चिन्ताओं एवं उद्देश्यों से उनके संबंधों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाएगी।

2. चूंकि बाह्य भौगोलिक सामरिक महत्त्व का वातावरण तथा देश की आंतरिक परिस्थिति दोनों ही तेजी से बदल रहे हैं, इसलिए सम्पूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता का आज विशेष महत्व है। अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में नाटकीय परिवर्तन हुए हैं जिससे संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से शक्ति के नए संतुलन की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक सोच-विचार द्वारा ज्यादातर अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक गतिविधियां निर्धारित की जा रही हैं और आज आर्थिक शक्ति सैन्य शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे-जैसे विकास प्रक्रिया नई शक्तियां प्रदान करती है तथा ऐसी आकांक्षाएं उत्पन्न करती हैं जिन्होंने बहुत से क्षेत्रों में सामाजिक तथा प्रशासनिक ढांचों को तनावपूर्ण बना दिया है, वैसे ही घरेलू स्थिति भी बादल रही है। देश के कुछ भागों में ये प्रवृत्तियां बाहरी ताकतों द्वारा संयोजित की जाती हैं जो उग्रवादी तथा आतंकवादी संगठनों को उनकी गैरकानूनी एवं ध्वसांत्मक गतिविधियों में मदद देती हैं एवं बढ़ावा देती हैं। अगर इन प्रवृत्तियों को बगैर रोक-टोक के जारी रहने दिया जाता है, तो ये राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को क्षति पहुंचा सकती हैं।

3. अतः सरकार ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् गठित करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :—

| | |
|---|---|
| प्रधान मंत्री | अध्यक्ष |
| रक्षा मंत्री | सदस्य |
| वित्त मंत्री | सदस्य |
| गृह मंत्री | सदस्य |
| विदेश मंत्री | सदस्य |

यह परिषद् आवश्यकतानुसार अन्य केन्द्रीय मंत्रियों तथा किसी राज्य के मुख्य मंत्री को परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिए अनुरोध कर सकती है। यह परिषद् आवश्यकतानुसार सुविज्ञों और विशेषज्ञों को भी इसकी बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का मुख्य प्रयास होगा राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही बाह्य स्थिति तथा हमारी आंतरिक स्थिति के बीच सम्बंधों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना, क्योंकि इसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ता है। इससे उन रणनीतियों की पहचान होगी जो रक्षा, आंतरिक सुरक्षा तथा विदेशी मामलों में हमारे प्रयासों के अच्छे परिणाम निकलने की आशा बढ़ाती है। यह परिषद् इस बात का सुनिश्चय करेगी कि आंतरिक तथा भौगोलिक सामरिक महत्त्व के वातावरण का मध्यकालीन तथा दीर्घ कालीन मूल्यांकन हो, जिससे कि संबंधित मामलों में सरकारी नीति बनाने में परिप्रेक्ष्य का काम करे। परिषद् के विचार के लिए जो विषय प्रस्तुत किए जा रहे हैं वे मोटे तौर पर निम्नलिखित को शामिल करेंगे :—

(क) बाह्य खतरे की स्थिति।

(ख) सामरिक महत्त्व की रक्षा संबंधी नीतियां।

(ग) अन्य सुरक्षा संबंधी खतरे, विशेष रूप से ऐसे खतरे जिनका संबंध परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा उच्च टेकनालाजी से है।

(घ) आन्तरिक सुरक्षा जिसमें प्रति-विद्रोह, प्रति-आतंकवाद और प्रति-आसूचना जैसे पक्ष शामिल हैं।

(ङ) देश के भीतर ऐसे उन्माद की संभावना होना, विशेष रूप से जिसका सामाजिक, सांप्रदायिक अथवा प्रादेशिक आयाम हो।

(च) भारत की आर्थिक तथा विदेशी नीतियों पर विश्व अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो रही प्रवृत्तियों की सुरक्षा संबंधी उलझनें।

(छ) ऊर्जा, खाद्य तथा वित्त जैसे क्षेत्रों में बाह्य आर्थिक खतरे।

(ज) तस्करी तथा हथियारों, ड्रगों तथा नार्कोटिक के अवैध व्यापार जैसे सीमापार अपराधों से उत्पन्न खतरे।

(झ) सामरिक महत्व के तथा सुरक्षा संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय सहमति तैयार करना।

5. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को स्ट्रैटेजिक कोर ग्रुप द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें सचिव, मंत्रिमंडल अध्यक्ष होंगे और तीनों सेवाओं के प्रतिनिधि तथा संबंधित मंत्रालय होंगे। स्ट्रैटेजिक कोर ग्रुप, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को मंत्रालयों या अन्य सरकारी एजेंसियों या विशेष टास्क फोर्सेस द्वारा जैसे कि पैरा 6 में दर्शाया गया है प्रस्तुत किए गए कागजातों और रिपोर्टों के समुचित अध्ययन का निरीक्षण करेगा।

6. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का अपना एक अलग सचिवालय होगा जिसका प्रमुख सचिव होगा और वह अधिकारी भारत सरकार के सचिव के समकक्ष होगा। यह सचिवालय स्ट्रैटेजिक कोर ग्रुप को भी सेवाएं प्रदान करेगा।

7. राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के गहन अध्ययन हेतु, परिषद् के अध्यक्ष जितनी चाहे उतनी टास्क फोर्सिस स्थापित कर सकते हैं। प्रत्येक टास्क फोर्स विशेष क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित होगी और उसके सदस्य सरकारी सुरक्षा मामलों में कार्यरत मंत्रालयों और एजेंसियों से ही लिए जाएंगे। प्रत्येक टास्क फोर्स का प्रमुख उस टास्क फोर्स को सौंपे गए कार्य का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखता होगा। यद्यपि टास्क फोर्स प्रशासनिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के सचिवालय से जुड़ा रहेगा, किन्तु सरकारी या बाहरी एजेंसियों से विशेषज्ञ सहायता के लिए अनुरोध कर सकता है।

8. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर देश के भीतर अधिक से अधिक संभावित सर्वसम्मति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा समस्याओं पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न करेगी। इसके लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा जिसके सदस्यों को मुख्यमंत्रियों, संसद् सदस्यों, विद्वानों, वैज्ञानिकों और प्रशासन सेवा का अच्छा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों, सशस्त्र बलों, प्रेस और समाचार माध्यमों से शामिल किए जाएंगे। बोर्ड की एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी और यह अपनी कार्यवाहियों का रिकार्ड रखेगा।

बोर्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर विचारों एवं विकल्पों का एक व्यापक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक रूप से एक रचनातंत्र के रूप में कार्य करेगा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् पर विचार के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले कागजातों एवं उनके अध्ययन कार्य में महत्वपूर्ण निवेश का कार्य करेगा। बोर्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के सचिवालय की सेवाएं प्राप्त होंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

विनोद चन्द्र पाण्डे
मंत्रिमंडल सचिव

---

लोक सभा सचिवालय

(पी० यू० ब्रांच)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अगस्त 1990

सं० -4/1-पी० यू-90—डा० जी० विजय मोहन रेड्डी, सदस्य राज्य सभा, ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सदस्यता से 9 अगस्त, 1990 से त्यागपत्र दे दिया है।

आर० एल० एल० दुबे
संयुक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली दिनांक 22 अगस्त 1990

संकल्प

सं० यू०-23013/12/89-एल० डब्ल्यू०—भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-1 खंड 1 में दिनांक 20 नवम्बर, 1989 को प्रकाशित, श्रम मंत्रालय के दिनांक 20 नवम्बर, 1989 के संकल्प संख्या यू०-23013/12/89-एल० डब्ल्यू० के पैरा 2 के आंशिक संशोधन में, जो मैसर्स ईस्टर्न कोल फील्डस लि०, केन्डा, जिला वर्दवान (पश्चिम बंगाल) की न्यू केन्डा कोलियरी में ठेका श्रम पद्धति के समाप्त करने के प्रश्न की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने के बारे में है, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त संकल्प में, क्रमांक 1 और 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1. श्री यू० के० चौबे — सदस्य
निदेशक (पी० एंड आई०आर०)
कोल इंडिया लि०,
10, नेताजी सुभाष रोड़,
कलकत्ता।
(श्री एस० दास गुप्ता के स्थान पर)

2. प्रो० शशि भूषण राव — सदस्य
जनरल सैक्रेटरी,
एस० ई० रेलवे मैन कांग्रेस,
रेलवे ब्लाक नं० 112/6,
यूनिट नं० 2, साउथ ईस्टर्न रेलवे कालोनी,
गार्डन रीच,
कलकत्ता-700043

(श्री ए० खालिक के स्थान पर)

2. उक्त संकल्प में, पैरा 3 में "समिति अपनी रिपोर्ट छह मास के अंदर प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी" शब्दों के स्थान पर "समिति को अपनी रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 1990 तक प्रस्तुत करनी चाहिए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

एस० सी० शर्मा,
अवर सचिव

---

(रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 90

सं० डी०जी०ई०टी०-19/15/89-सी० डी० भारत के राजपत्र के, भाग-1, खण्ड 1, दिनांक 21 अगस्त, 1956 में प्रकाशित भारत सरकार श्रम मंत्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) के समय-समय पर यथासंशोधित संकल्प सं० टी०आर०/ई०पी०-24/56 दिनांक—21 अगस्त, 1956 के पैरा-5 के उपपैरा (च) से (ट) तथा (ठ) के अनुसरण में तथा भारत सरकार, श्रम मंत्रालय (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15-1-1990 के अनुक्रम में, उपरोक्त अधिसूचना के क्रमांक 19 पर निम्नलिखित व्यक्ति को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् में अनुसूचित जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया है।

| क्र० | सदस्य का नाम | संगठन जिसका प्रतिनिधित्व करता है |
|---|---|---|
| 19. | मेघ राज मेघानी | अनुसूचित जाति |

सिंगारा सिंह, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 5th September 1990

No. 72-Pres/90.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Border Security Force :

*Name and rank of the officer*

Shri Ram Adhar Pandey,
Naik (No. 69566276),
33 Battalion,
Border Security Force.

*Statement of services for which the decoration has been awarded :*

Shri R.S. Bhullar, Joint Assistant Director (G), Border Security Force, Amritsar, received an information that some terrorists have taken shelter in the farm-house of one Pritam Singh at Manihala, Police Station Bhikhiwind.

On the 5th August, 1988, at about 0430 hours, the raiding party under the command of Shri R.S. Bhullar left for the place of hidding. After deploying the trops to prevent the escape of the terrorists, Shri Bhullar alongwith other personnel set out for raid. As the raiding party reached near the gate of the house, terrorists opened fire from two directions. The raiding party also returned the fire. Shri Bhullar ordered his men to advance further from right side to engage the terrorists effectively. Shri K. S. Rai, Asstt. Commandant, continued to move forward engaging the extremists in the face of heavy fire by the extremists. Shri Rai, was running short of ammunition and the extenmists were atempting to come closer to Shri Rai in order to physically overpower and capture him.

Shri Jaipal Singh, L/NK and Shri Mukund Kumar Constable, were in the raiding party of Shri Ram Adhar Pandey, Naik. When they were advancing towards one of the gates of farm-house, they came under heavy fire from the terrorists. Shri Jaipal Singh under the directions of Shri Pandey crawled to advantage position and effectively engaged the extremists. Because of this, the fire of extremists was checked and this helped the other groups of the raiding party to take positions at a safer place. Shri Pandey alongwith Constable Mukund Kumar continued to advance towards the hidding place. In the process, Shri Pandey received bullet injuries, but he kept on firing and killed one of the terrorists. Lance Naik Jaipal Singh directed Constable Mukund Kumar to help Shri Pandey in moving to a safer place. Shri Jaipal Singh continued to advance inspite of heavy fire on him and engaged the extremists relentlessly without caring for his personal safety. By this action Shri Pandey could move to a safer place. The exchange of fire continued for about one and a half hour and in all two extremists were killed who were later identified as Swinder Singh @ Shinda and Rajinder Sing @ Raji. On search one AK 47 assault rifle, two .12 bore DBBL guns, one .12 bore SBBL gun, 4 magazines of assault rifle alongwith larger quantity of ammunition and currency notes were recovered.

In this encounter Shri Ram Adhar Pandey, Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th August, 1988.

No. 73-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the under-mentioned officers of the Border Security Force :

*Name & rank of the officers*

Shri K.S. Rai,
Assistant Commandant,
33 Battalion,
Border Security Force.

Shri Hari Singh,
Subedar (No. 69511051),
33 Battalion,
Border Security Force.

Shri Jaipal Singh,
Lance Naik (No. 712100542),
33 Battalion,
Border Security Force.

Shri Mukund Kumar,
Constable No. 85005608,
33 Battalion,
Border Security Force.

*Statement of services for which the decaration has been awarded :*

Shri R. S. Bhullar, Joint Assistant Director (G), Border Security Force, Amritsar, received an information that some terrorists have taken shelter in the farm-house of one Pritam Singh at Manihala, Police Station Bhikhiwind.

On the 5th August, 1988, at about 0430 hours, the raiding party under the command of Shri R.S. Bhullar left for the place of hidding. After deploying the troops to prevent the escape of the terrorists, Shri Bhullar alongwith other personnel set out for raid. As the raiding party reached near the gate of the house, terrorists opened fire from two directions. The raiding party also returned the fire. Shri Bhullar ordered his men to advance further from right side to engage the terrorists effectively. Shri K.S. Rai, Assistant Commandant, continued to move forwerd engaging the extremists in the face of heavy fire by the extremists. Shri Rai was running short of ammunition and the extremists were attempting to come closer to Shri Rai in order to Physically overpower and capture him. Subedar Hari Singh, anticipated the move of extremists, engaged the terrorists by firing from LMG effectively and prevented the terrorists to capture Shri Rai. In return, the extremists then brought heavy volume of fire on the position of Subedar Hari Singh from various directions. Shri Hari Singh, immediately shifted to another vantage position though shower of bullets from the extremists continued relentlessly. This helped Shri Rai to move to a safer place.

Shri Jaipal Singh, Lance Naik and Shri Mukund Kumar, Constable, were in the raiding party of Shri Ram Adhar Pandey, Naik. When they were advancing towards one of the gates of the farm-house, they came under heavy fire from the terrorists. Shri Jaipal Singh under the directions of Shri Pandey crawled to a vantage position and effectively engaged the extremists. Because of this, the fire of extremists was checked and this helped the other groups of the raiding party to take positions at a safer place. Shri Pandey alongwith Constable Mukund Kumar continued to advance towards the hidding place. In the process, Shri Pandey received bullet injuries, but he kept on firing and killed one of the terrorists. Lance Naik Jaipal Singh directed Constable Mukund Kumar to help Shri Pandey in moving to a safer place. Shri Jaipal Singh continued to advance inspite of heavy fire on him and engaged the extremists relentlessly without carrying for his personal safety. By this action Shri Pandey could move to a safer place. The exchange of fire continued for about one and a half hours and in all two extremists were killed who were later identified as Swinder Singh @ Shinda and Rajinder Singh @ Raji. On search one AK 47 assault rifle, two .12 bore DBBL guns, one .12 bore SBBL gun, 4 magazines of assault rifle alongwith large quantity of ammunition and currency notes were recovered.

Shri K. S. Rai, Assistant Commandant, Shri Hari Singh, Subedar, Shri Jaipal Singh, Lance Naik and Shri Mukund Kumar, Constable, 33 Battalion, Border Security Force, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them special allowance admissible under rule 5, with effect from the 5th August, 1988.

No. 74-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the under-mentioned officer of the Central Reserve Police Force :

*Name & rank of the Officer*

Shri Dalip Singh,
Sub-Inspector No 620030623,
32 Battalion,
Central Reserve Police Force

*Statement of services for which the decoration has been awarded*

On the 30th March, 1989, on receipt of information about heavy movement of hard-core terrorists in Nawanshahar Banga area, Senior Superintendent of Police Jalandhar and Commandant, 32 Battalion, Central Reserve Police Force, planned a special operation and deployed various groups to nab the terrorists. One group under the charge of Shri Dalip Singh, Sub-Inspector comprising of 3 Central Reserve Police Force personnel including the driver and 2 Punjab Police constables was deployed for mobile patrolling in Nawanshahar/Banga area. Around 1730 hours this group while patrolling noticed one suspicious looking person travelling on a tractor, besides the driver near Khatkar Kalen under Police Station Banga. On being signalled to stop the tractor, the suspected person fired at Shri Dalip Singh who escaped unhurt due to quick anticipation. Sensing danger to the life of Sub-Inspector Dalip Singh, Constable Manjeet Singh sprang at the driver of the tractor and overpowered him thereby stopping the tractor. Shri Dalip Singh on noticing that the attention of the suspected person was diverted by the action of Constable Manjeet Singh, jumped at the youth without caring for his personnel safety and overpowered and disarmed him. Seeing no way to escape the terrorist immediately swallowed a capsule containing cyenide. Shri Dalip Singh attempted to take out the capsule from his mouth, but only part of it could he taken out. On seeing the deteriorating condition of the terrorist, he immediately took him to Civil Hospital Nawanshahar, where the doctors tried their best to revive him, but he died after some time. He was later identified as Manjeet alias Ram Lal alias Ram Bhaiya of Mezari.

In this encounter Shri Dalip Singh, Sub-Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from 30th March, 1989.

No. 75-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the under-mentioned officer of Central Reserve Police Force :

*Name and rank of the officer*

Shri M. Sundaram,
Constable No. 761110148,
(Now Lance Naik),
48 Battalion,
Central Reserve Police Force.

*Statement of services for which the decoration has been awarded* :

On receipt of specific information about the presence of terrorists in the villages of Tarn Taran Sub-division, a combined raid/search operation consisting of Central Reserve Police Force and Punjab Police personnel was organised. The Combing operation was started at about 0800 hours on the 19th December, 1988, by parties of companies from the 48th Battalion, Central Reserve Police Force alongwith Assistant Commandant (Operations) of the 48th Battalion, Central Reserve Police Force, in the village of Bath, Deo Pakhoke and Bagadia under Police city Tarn Taran.

When a party of the 48th Battalion reached near the Farm House of Bachan Singh Sandhu in village Pakhoke with the intention of checking the Farm House, the terrorists, who were hiding inside the Farm House opened fire on the CRPF party and as a result Constable M. Sundaram who was in the leading section sustained bullet injury. Without caring for his injuries and personal safety he took position near the gate of the Farm House and started firing towards the room where the terrorists were firing. He also changed his position by crawling tactically and continued firing until he was removed to hospital. In this way Shri Sundaram helped other party personnel to advance and encircle the farm house and to succeed in killing the entrenching terrorists. In the encounter, two hard-core terrorists were killed, who were later identified as Sher Singh of Ferozepur and Karaj Singh of Police Station Patti.

In this encounter Shri M. Sundaram, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 19th December, 1988.

No. 76-Pres/90.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the under-mentioned officer of Central Reserve Police Force :

*Name and rank of the officer*

Shri Ravinder Kumar
Constable (Driver) No. 821191077,
32 Battalion
Central Reserve Police Force.

*Statement of services for which the decoration has been awarded* :

On the 7th March, 1989, at about 1650 hours one section of 32 Battalion, Central Reserve Police Force, under the command of Head Constable Mangal Singh left for naka duty at Chakdana Village, under Police Station Nawanshahr in a Jeep driven by Constable (Driver) Shri Ravinder Kumar. The party after performing their duty left for Coy. Hqrs. at approximately 1940 hours. Enroute the jeep was ambushed, just after it crossed the trijunction of Garhi Ajit Singh on Phillaur-Nawanshahr road and came under heavy automatic AK-47 rifle fire from terrorists.

In the first burst of rifle fire from terrorists, Driver Ravinder Kumar was seriously injured. Despite serious bullet injuries Driver Ravinder Kumar displayed extraordinary courage and presence of mind, in driving the jeep and manouvered it away from the ambush site. By doing so he ensured that the men in the jeep did not suffer any casualty. In this remarkable and gallant endeavour, he received further bullet injuries which proved fatal. He could only take the jeep for another 80 metres beyond the ambush point before succumbing to his injuries. The supreme sacrifice and courageous action of Driver Ravinder Kumar saved the lives of the other men in the jeep and they could escape with only minor bruises. The other police men returned the fire but the terrorists escaped under the cover of darkness.

In this encounter Shri Ravinder Kumar, Constable (Driver) displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th March, 1989.

No. 77-Press/90.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the under-mentioned officer of Boarder Security Force .

*Name and rank of officer*

Shri Ravi Gandhi,
Assistant Commandant
12 Battalion
Border Security Force

*Statement of services for which the decoration has been awarded* :

On receipt of information on the 2nd September, 1989 that some extremists were hiding at Iqbal Singh Ki Dhani, village Kabianwala, district Faridkot, Shri Ravi Gandhi, Assistant Commandant of 12 Battalion, Border Security Force, at Guruharsahai rushed to the place with 23 Border Security Force personnel. On reaching the place, he found that the Punjab Police personnel had cordoned the place from a distance of about 100-150 Metres. Shri Ravi Gandhi also observed that one section of Punjab Police engaged the terrorists with their rifles and the terrorists kept the police party pinned down by incessant firing with their automatic weapons taking cover from inside the Kacha-house. Terrorists were also throwing hand-grenades on the police party.

As the extremists were well-entrenched in the house and flat trajectory weapons were not effective, Shri Gandhi chalked out a very ingenious and daring plan. He deployed one of his sections with LMG and SL Rifles to give covering fire. Shri Gandhi without caring for his personal safety, advanced towards the place of hiding alongwith 3 BSF personnel. Seeing the BSF party, the extremists started firing heavily on the party. Shri Gandhi saw a window on the right side of the room from where the terrorists were firing. He crawled forward and reached near the window through which he lobbed 2 grenades and as a result of this two extremists were killed. Thereafter, he saw a third extremist, who was firing from the main passage of the room. Shri Gandhi took cover behind a tractor which was about 10 metres from the house. The extremist also saw Shri Gandhi and he fired two bursts towards Shri Gandhi. The first burst hit the tractor and second went over the head of Shri Gandhi and he luckily escaped. Undeterred by this, Shri Gandhi ordered one of his Jawans to give covering fire and with cool courage and confidence, lobbed a grenade at the extremist, as a result of which the 3rd extremist also died on the spot.

In this encounter, Shri Ravi Gandhi, Assistant Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5 with effect from the 2nd September 1989.

D. S. JAGOTRA, Dy. Secy. to the President

---

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 24th August 1990

RESOLUTION

No. 50/4/18/88-TS.—The Government had announced their intention to set up a National Security Council to consider all aspects of National security in a coordinated and comprehensive manner. The Council will take a holistic view of national security issues in the light of the external, economic political and military situations and their linkages with our domestic concerns and objectives.

2. The need for a holistic approach is especially important today as both the external geo-strategic environment and the internal situation in the country are changing rapidly. The international environment has undergone dramatic changes which will inevitably lead to the establishment of new equilibria of power in different regions of the globe. Economic considerations are increasingly determining international political dynamics, and economic power is now more significant than military strength. The domestic situation is also changing as the process of development releases new energies and raises aspirations which, in many regions, have strained the social fabric and the administrative structure. In some parts of the country these strains are compounded by external forces aiding and abetting militant and terrorist groups in their unlawful and subversive activities. These trends, if allowed to go unchecked could undermine the nation's integrity and unity.

3. Government have, therefore decided to set up a National Security Council comprising the following:

Chairman

Prime Minister

Members

Minister of Defence
Minister of Finance
Minister of Home Affairs
Minister of External Affairs

The Council may, as necessary, request the Union Ministers and any Chief Minister of a State to attend meetings of the Council. The Council may also invite experts and specialists to attend its meetings as necessary.

4. The main endeavour of the National Security Council will be to evolve an integrated approach to policy making as it affects national security, taking account of the linkages between the envolving external situation in the political, military and economic fields and our domestic situation. This should lead to the identification of strategies which optimise our efforts in defence, internal security, and foreign affairs. The council will ensure that medium-term and long-term assessments are made of the internal and geo-strategic environment to serve as a perspective for shaping Government policy in related matters. The subjects submitted for the consideration of the Council will broadly cover the following :

(a) external threat scenario;

(b) strategic defence policies;

(c) other security threats, specially those involving atomic energy, space and high technology;

(d) internal security covering aspects such as counter-insurgency, counter-terrorism and counter-intelligence;

(e) patterns of alienation likely to emerge within the country, especially those with a social, communal or regional dimension;

(f) security implications of evolving trends in the world economy on India's economic and foreign policies;

(g) external economic threats in areas such as energy, commerce, food and finance;

(h) threats posed by trans-border crimes such as smuggling and traffic in arms, drugs and narcotics;

(i) envolving a national consensus on strategic and security issues.

5. The National Security Council shall be assisted by a Strategic Core Group comprising the Cabinet Secretary as Chairman and representatives of the three Services and the Ministries concerned. The Strategic Core Group will supervise the submission of appropriate studies, papers and reports to the National Security Council from the Ministries or other agencies of the Government, or from Special Task Forces as indicated in para 7.

6. The National Security Council will have a separate Secretariat which will be headed by a Secretary who will be an officer in the rank of Secretary to the Government of India. This Secretariat will also service the Strategic Core Group.

7 For in depth study of different aspects concerning national security Task Forces may be established as may be decided by the Chairman of the Council Each Task Force will be concerned with specific areas of security and its membership will be drawn from the Ministries and agencies dealing with the security issues within the Government Each Task Force will be headed by an experienced person well-versed in matters assigned to that Task Force While the Task Forces will be administratively attached to the Secretariat of the National Security Council they may request for expert assistance from agencies within or outside the Government

8 The National Security Council will also oversee efforts to increase public awareness on important national security problems with a view to promoting the widest possible consensus within the country on issues affecting the nation's security Towards this end, a National Security Advisory Board will be constituted comprising members drawn from among Chief Ministers Members of Parliament, academics, scientists and persons having rich experience of service in the administration armed forces press and the media The Board will meet at least twice a year and keep record of its proceedings The Board will essentially serve as a mechanism for obtaining a broad range of informed views and options on national security issues This will form an important input into studies and papers submitted for the consideration of the National Security Council The Board will be serviced by the Secretariat for the National Security Council

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries Departments of the Government of India and all the State Governments Union Territories

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

V C PANDE
Cabinet Secretary

---

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi 110001 the 10th August 1990

No 4/1 PU/90 —Dr G Vijaya Mohan Reddy, member, Rajya Sabha has resigned from the membership of the Committee on Public Undertakings with effect from 9 August, 1990

R C T DUBEY Jt Secy

---

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi the 22nd August 1990

RESOLUTION

No. U-23013/12/89-LW —In partial modification of para 2 of the Ministry of Labour's Resolution No U-23013/12/89-LW dated 20th November, 1989 published in Gazette of India Extraordinary, Part I Section-I, dated 20th November, 1989 relating to the constitution of a Committee to go into the question abolition of Contract Labour System in New Kenda Colliery of M/s Eastern Coal Fields Ltd, Kenda Distt Burdwan (West Bengal), Central Government hereby makes the following amendment namely —

In the said Resolution, for serial numbers 1 and 2 and the entries relating thereto the following shall respectively be substituted namely —

*Members*

1 Shri U K Choubey,
Director (P&IR)
Coal India Limited
10, Netaji Subhas Road
Calcutta
(*vice* Sh S P Gupta)

2 Ch Seshibhushana Rao
General Secretary
S E Railwaymens Congress
Railway Block No 112/6
Unit No 2 South Eastern
Railway Colony Garden Reach,
Calcutta—70004
(*vice* Shri V Khilique)

2 In the said Resolution against para 3 for the words and letters the Committee would endeavour to submit its report within six months the following shall be substituted the Committee would submit its report by 31st October, 1990

S C SHARMA Under Secy

---

(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT & TRAINING)

New Delhi the 23rd August 1990

No DGET-19(15)/89 CD —In pursuance of sub paragraphs (f) to (k) and (n) of paragraph 5 of the Government of India Ministry of Labour (Directorate General of Employment and Training), Resolution No FR/EP-24/56 dated 31st August 1956 published in Gazette of India, Part-I Section 1 dated the 21st August 1956, as amended from time to time and in continuation of notification of even number dated 15 01 1990 of the Govt of India, Ministry of Labour (Directorate General of Employment and Training), the following person has been nominated against Sl No 19 of the above said notification to represent the interests of Scheduled Castes on the National Council for Vocational Training

| Sl No | Name of the Member & Organisation representing |
|---|---|
| 19 | Meghraj Medhavi—Scheduled Castes |

SHINGARA SINGH, Under Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1990